झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
चतुर्थ सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक 30 अग्रहायण,1937 (श0) को 21 दिसम्बर, 2015 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1	2	3	4	5	6
01–	ग–05	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	राष्ट्रपति पुलिस पदक की अनुशंसा करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
02–	ग–10	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	पुलिस पिकेट स्थापित करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
03–	ग–08	श्री दशरथ गागराई	सम्मान राशि का भुगतान करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
04–	ग–04	श्री मनीष जायसवाल	कैदियों को रिहा करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
05–	का–08	श्री पौलुस सुरीन	आशुलिपिक का स्थानांतरण एवं सम्पति की जाँच।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	14.12.15
06–	ग–02	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पंचायतों को थाना में जोड़ना ।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
07–	का–07	श्री रामकुमार पाहन	चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.12.15
08–	ग–09	श्री अरूप चटर्जी	ओ0पी0 भवन का निर्माण करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
09–	ग–11	श्री पौलुस सुरीन	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	14.12.15
10–	का–04	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	प्रशाखा पदाधिकारी को स्थानांतरण करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.12.15

नोट - 05-का-08-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-10602 दिनांक 15/12/15 के द्वारा

कृ0पृ0उ0

1	2	3	4	5	6
11–	ग–06	श्री रामकुमार पाहन	गावों को थाना में शामिल करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
12–	ग–03	श्री अनन्त कुमार ओझा	पुलिस पिकेट स्थापित करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
13–	का–09	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	सरकार की गजट सूची में जोड़ना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	14.12.15
14–	योवि–01	श्री राज सिन्हा	डी0सी0 विपत्रों को जमा करना।	योजना सह वित्त	12.12.15
15–	योवि–02	श्री अशोक कुमार	उपकोषागार स्थापित करना।	योजना सह वित्त	13.12.15
16–	का–01	श्री शिवशंकर उराँव	जनसंख्या के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापन।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.12.15
17–	का–03	श्री आलमगीर आलम	परीक्षाफल प्रकाशित करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.12.15
18–	का–02	श्री शिवशंकर उराँव	क्षेत्रीय भाषाओं को सूची में शामिल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.12.15
19–	ग–01	श्रीमती बिमला प्रधान	अतिवृष्टि से हुई क्षति को क्षतिपूर्ति करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.12.15
20–	ग–07	श्री राजकुमार यादव	मजदूरों को वतन वापसी का अनुशंसा करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.15
21–	योवि–03	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	समयसीमा एवं नियमावली तय करना।	योजना सह वित्त	13.12.15
22–	का–05	श्री अरूप चटर्जी	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.12.15
23–	का–06	श्री बिरंची नारायण	समान एच0आर0एवं टी0ए0 का भुगतान।	कार्मिक प्रशासनकि सुधार तथा राजभाषा	12.12.15
24–	योवि–04	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	उपकोषागार स्थापित करना।	योजना सह वित्त	14.12.15
25–	वाणि–01	श्री मनीष जायसवाल	चेकपोस्ट का निर्माण।	वाणिज्यकर	12.12.15

रांची
दिनांक–21 दिसम्बर,2015 (ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/2015– 3012 /वि0स0,रांची,दिनांक– 15/12/15

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष)/अन्य मा0 मंत्रीगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/15
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/2015– 3012 /वि0स0,रांची,दिनांक– 15/12/15

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय अपर सचिव (प्रश्न) एवं संयुक्त सचिव (वेबसाईट) को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/15
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर /

(1)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी थाना क्षेत्र में दिनांक–12.08.2008 को युको बैंक, गिरिडीह का कैश वैन (वाहन) डकैतों के द्वारा लुट लिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि टुण्डी थाना में पदस्थापित तत्कालीन थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा डकैतों का बहादुरी पूर्वक सामना कर बैंक के पैसों को मुक्त कराया गया जो एक साहसिक कार्य का परिचय है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि धनबाद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा उन सभी पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिलाने की अनुशंसा की गई थी ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन सभी पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नही उठता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–16 / 2015 7590 / राँची, दिनांक–19 / 12 / 2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2913, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.15
सरकार के उप सचिव।

(12)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला तथा गढ़वा जिला मुख्यालय की दूरी 32 कि०मी० है, जिसमें प्रायः रोड छिनतई/रोउ डैकेती की घटनाएँ होती रहती है साथ ही गढ़वा जिला मुख्यालय से रंका अनुमण्डल मुख्यालय की 22 कि०मी० की दूरी के बीच अन्नराज नावाडीह घाटी में भी अप्रिय घटनाएँ होती रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गढ़वा थाना के द्वारा अन्नराज नावाडीह घाटी में पुलिस पैट्रोलिंग एवं पुलिस की सक्रियता से छिनतई/रोड डकैती की घटना में कमी आई है। वर्ष 2014 में अन्नराज नावाडीह घाटी में मात्र 01 घटना प्रतिवेदित हुआ है। गढ़वा से पलामू जाने वाले राज्य पथ पर भी पुलिस सक्रियता से छिनतई एवं डकैती की घटनाओं में कमी आई है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पथों में तिलदाग तथा अन्नराज नावाडीह घाटी में पुलिस पिकेट खुल जाने से अपराध पर नियंत्रण किया जा सकेगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तिलदाग से गुजरने वाली पथ की भौगोलिक स्थिति सामान्य है तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। परन्तु अन्नराज नावाडीह से गुजरने वाली पथ कम आबादी वाला क्षेत्र है तथा दुर्गम जंगल/पहाड़ से घिरा हुआ है। अतएव तिलदाग में पुलिस पिकेट स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अन्नराज नावाडीह घाटी में पुलिस पिकेट खुलने से आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित किया जाना अधिक आसान होगा।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित तिलदाग तथा अन्नराज नावाडीह घाटी पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अन्नराज नावाडीह घाटी में पुलिस पिकेट बनाने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू से प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–38/2015-7587/ राँची, दिनांक–19/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2905, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12
सरकार के उप सचिव।

(3)

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक–9/चौ०द०स्था०–108/2003–22/राँची, दिनांक–06 मई, 2004 ई० के आधार पर पश्चिमी–सिंहभूम जिलान्तर्गत (कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र) के परंपरागत स्वशासन व्यवस्था में ग्राम–प्रधान यथा मानकी मुण्डा एवं डाकुवा के रूप में कार्यशील है को सम्मान राशि देय है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक–507, दिनांक–06.02.2013 स्मार पत्र सं०–2220, दिनांक–10.03.2014 के द्वारा सरकारी कर्मी अपने कार्यों के अतिरिक्त ग्राम–प्रधान के कार्यों का निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन कोल्हान अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से मांग किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ग्राम–प्रधान के कार्यों का निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन कोल्हान अधीक्षक के द्वारा गृह विभाग को अब तक नहीं सौंपी गई है, जिसके कारण ग्राम प्रधान यथा मानकी मुण्डा गण सम्मान राशि से वंचित है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र वांछित प्रतिवेदन प्राप्त कर वैसे मानकी–मुण्डाओं को भी सम्मान राशि का नियमित भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–125/2015 7599 राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2904, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12
सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जेलों में विशेषकर केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में लगभग 100 (एक सौ) कैदी ऐसे हैं जो आजीवन कारावास (14 चौदह वर्षों) की अवधि पूरा कर लेने के बावजूद अभी भी उक्त काराओं (जेलों) में कारावास की ही जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं ;	अस्वीकारात्मक। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों को आजीवन कारा में संसीमित रहना परिभाषित है। परन्तु Cr.PC की धारा–433A से आच्छादित आजीवन कारावास बंदियों के असमय कारा विमुक्ति हेतु 14 (चौदह) वर्ष की वास्तविक कारा अवधि एवं 20 (बीस) वर्ष परिहार सहित पूर्ण होने पर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा विचार किये जाने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जेलों के कई ऐसे कैदियों ने उक्त अवधि पूरा होने के पश्चात अपने रिहाई के संबंध में पत्र राज्य सरकार को देने के बावजूद अभी भी कारावास में हैं ;	अस्वीकारात्मक। आजीवन कारावास के बंदियों के असमय कारामुक्ति के निमित्त राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आहूत कर निर्णय लिया जाता रहा है, परन्तु **W.P. (Crl.) No-48/2014 Union of India V/S Sriharan @ Murugan & Others.** में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–09.07.2014 के आदेश द्वारा सभी राज्यों को असमय कारामुक्ति पर रोक लगाई गई। पुनः दिनांक–23.07.2015 को मा० सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आलोक में आजीवन कारावास के बंदियों के असमय कारामुक्ति के निमित्त दिनांक–13.08.2015 को राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय में झारखण्ड राज्य के **Standing Counsel , Shri Ajeet Kumar Sinha (Retire Judge)** से परामर्श प्राप्त किया गया। उनके द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आजीवन कारावास के बंदियों के असमय कारामुक्ति को स्थगित रखने का परामर्श दिया गया। संदर्भित वाद **W.P. (Crl.) No-48/2014 Union of India V/S Sriharan @ Murugan & Others.** में मा० सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक–02.12.2015 के आदेश में संविधान पीठ द्वारा विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ को अंतिम आदेश के निमित्त स्थानांतरित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे कैदियों को चिन्हित कर जो उक्त कारावास की अवधि पूरा कर लिऐ है उन्हें रिहा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त मा० सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ के आदेश के उपरांत राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आहूत किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–20/2015 7585 /   राँची, दिनांक–19/12/2015 ई०।
प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2907

5

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–08 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला मुख्यालय में श्री विजेन्द्र राम–आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) उपायुक्त, कार्यालय में विगत वर्ष– 2007 से पदस्थापित व कार्यरत है,		स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि खूँटी जिला में आशुलिपिक के कुल स्वीकृत पद छः के विरूद्ध एक मात्र आशुलिपिक श्री विजेन्द्र राम कार्यरत है। शेष पाँच पद रिक्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के कर्मी को एक स्थान पर 3 वर्षों से ज्यादा समय तक नहीं पदस्थापित रह सकते है,		वस्तुस्थिति यह है कि श्री राम के स्थान पर पदस्थापित करने हेतु जिला में अन्य आशुलिपिक उपलब्ध नहीं है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 के अध्याय–4 (1) के प्रावधान के तहत् आशुलिपिक (आशुटंकक) के पद पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्षों से पदस्थापित कर्मी ने आय से अधिक सम्पति अर्जित कर ली है,		वस्तुस्थिति यह है कि पदस्थापित कर्मी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध मे किसी भी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्री राम को सम्पत्ति रिटर्न दाखिल करने का निदेश दिया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियमानुसार श्री विजेन्द्र राम–आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) का अन्यत्र स्थानान्तरण करते हुए आय से अधिक सम्पति की जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, खूँटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राम खूँटी जिला में मात्र एक आशुलिपिक है। अतएव अन्य आशुलिपिक की नियुक्ति होने के पश्चात् ही उनके स्थानान्तरण पर विचार करना उचित प्रतीत होता है। पदस्थापित कर्मी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध मे किसी भी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। श्री राम को सम्पत्ति रिटर्न दाखिल करने का निदेश दिया गया है। यदि आय से अधिक सम्पत्ति रखने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0 (तारां0)–111/15 5655 /रा0 दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2986 वि०स०, दिनांक–14.12.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उनके पत्रांक–10602 (अनु0), दि0–15.12.15 के प्रसंग में/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के उप सचिव

(6)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बड़का चुम्बा, मंझिला चुम्बा, मनुवा फुलसराय एवं बुमरी पंचायत जो हजारीबाग जिला के गिद्दी थाना अंतर्गत आता है। जबकि इन पंचायतों का जिला मुख्यालय रामगढ़ जिला पड़ने के कारण यहाँ के लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य विभिन्न सरकारी कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को देखते हुए उक्त पंचायतों को रामगढ़ जिला के कुज्जु थाना में शामिल करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	रामगढ़ जिलान्तर्गत बड़का चुम्बा, मंझिला चुम्बा, मनुवा फुलसराय एवं बुमरी पंचायत को कुजू ओ०पी० के अधीन करने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, प्र० हजारीबाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्रतिवदेन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–35 / 2015 7586 राँची, दिनांक–19/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2912, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.15
सरकार के उप सचिव।

(7)

माननीय स०वि०स० श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–07 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के सभी कर्मियों की सेवाशर्त, प्रोन्नति आदि की नियमावली बिहार सरकार की नियमावली को अंगीकृत कर बनाई गई है,	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या – 2933 दिनांक – 31.03.11 के द्वारा अपने सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को केन्द्रीय छठ्ठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमित कर दिया गया है,	वित्त विभाग, बिहार सरकार के **संकल्प संख्या–2937 दिनांक–31.03.2011** के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अर्हता प्राप्त समूह–घ के कर्मियों को बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में नियुक्त किया जायेगा। उक्त संकल्प के आलोक में बिहार सरकार अन्तर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमण के संबंध में सूचना अप्राप्त है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र के छठ्ठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के तर्ज पर ही झारखण्ड राज्य के योग्यताधारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नति देना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है:– (क) कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या–1749 दिनांक–27.03.2010 तथा अधिसूचना संख्या–4447 दिनांक–26.07.10 के द्वारा क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010' तथा 'सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010' अधिसूचित है। (ख) उपर्युक्त नियमावलियों के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के द्वारा अर्हता प्राप्त समूह–घ के कर्मियों को समूह–ग के 15 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति प्रतिस्पर्धा, खुली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। (ग) तदनुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्तर पर समूह–घ कर्मियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के निमित्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक–9966 दिनांक–20.11.2015 के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों/जिलास्तर पर समूह–घ के कर्मियों की समूह–ग में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के निमित्त कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक–10190 दिनांक–02.12.2015 के द्वारा सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेशित किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–64/2015 का–1068 रांची, दिनांक– 17/12/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2906, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

(8)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत कुमारधुबी ओ०पी० तथा गलफरबाड़ी ओ०पी० के पास अपना भूमि चिन्हित है परन्तु आज दिनांक–06/12/2015 तक भी इन ओ०पी० का कोई नया भवन नहीं बना है ?	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त ओ०पी० के लिए नये भवन बनवाने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में ओ०पी० भवन के निर्माण हेतु आवश्यक कारवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 3/वि०स०/1009/2014 6760/ राँची, दिनांक 19.12.2015

प्रतिलिपि – उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–2910 वि०स०, दिनांक 12.12.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.15
सरकार के उप सचिव।

(9)

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला में पूर्व में पदस्थापित उप विकास आयुक्त श्री देवेन्द्र भूषण सिंह पर छात्रा से अश्लील कार्य करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था ;	अस्वीकारात्मक। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा प्राथमिकी अभ्युक्त श्री देवेन्द्र भूषण सिंह के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करने हेतु आदेशित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रशासन के मिलीभगत से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नही हुई है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ये वर्त्तमान में आयुक्त कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे है ;	स्वीकारात्मक श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, खूँटी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक –5/आरोप–01–53/2015 का० –7307, दिनांक–13.08.2015 के आलोक में दिनांक–30.09.2015 के पूर्वाहन में आयुक्त कार्यालय द० छोटानागपुर प्रमंडल, राँची में योगदान समर्पित किये हैं एवं समय–समय पर कार्यालय में उपस्थित होते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन्हे अविलंब गिरफ्तार करते हुए, उन्हे संरक्षण दे रहे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–8/वि०स० (04)–52/2015 6765 राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2984, दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.15
सरकार के उप सचिव।

(10)

माननीय श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–04 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि श्री कमल किशोर पटेल, प्रशासक पदाधिकारी (संप्रति सचिवालय सहायक), गृह विभाग, झारखण्ड के पद पर विगत 15 वर्षों से पदस्थापित हैं,	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि श्री पटेल का स्थानांतरण अवर सचिव के ज्ञापांक 5723/रांची दिनांक 29 जून, 2013 के आलोक में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड में प्रशासक पदाधिकारी के पद पर की गई थी,	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि श्री पटेल, प्रशासक पदाधिकारी अपना स्थानांतरण आदेश पैसा व पैरवी के बल पर पुनः रोकवा कर अबतक गृह विभाग में ही पदस्थापित है, जो नियम सम्मत प्रतीत नहीं होता है,	अस्वीकारात्मक। गृह विभाग की अनुशंसा पर इनका स्थानांतरण स्थगित किया गया था।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 15 वर्षों से गृह विभाग में पदस्थापित श्री कमल किशोर पटेल, प्रशासक पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से नियमानुकूल स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या 10813 दिनांक 15.12.2015 द्वारा इनका स्थानांतरण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कर दिया गया है।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–05/2015 का. 10684 / रांची, दिनांक 17/12/2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2900 दिनांक 12.12.2015 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

(अजय त्रिवेदी)
सरकार के अवर सचिव।

(11)

श्री राम कुमार पाहन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के बीसा पंचायत का राजस्व ग्राम बीसा एवं बेंती का प्रखण्ड मुख्यालय अनगड़ा तथा थाना सिकीदरी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बीसा ग्राम अनगड़ा थाना अंतर्गत पड़ता है, जबकि बेंती ग्राम सिकीदरी थाना अंतर्गत पड़ता है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों का राजस्व प्रखण्ड अनगड़ा एवं थाना सिकीदरी होने के कारण लोगो को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बेंती ग्राम सिकीदरी थाना अंतर्गत होने के कारण लोगो को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवों को अनगड़ा थाना में शामिल करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	ग्राम बेंती को अनगड़ा थाना में शामिल करने के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर, राँची से प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–37 / 2015 7588 / राँची, दिनांक– 19 / 12 / 2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2908, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.15
सरकार के उप सचिव।

(12)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा अंतर्गत दियारा क्षेत्र गंगा के तटवर्ती तथा मध्य एवं राज्य प० बंगाल तथा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज प्रखण्ड अंतर्गत कारगिल दियारा एवं राजमहल प्रखण्ड अंतर्गत पूर्वी नारायणपुर दियारा क्षेत्र में पुलिस पिकेट स्थापित करने की मांग वर्षों से हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाए की जा रही है, जहाँ गंगा नदी में जलयान पुलिस पिकेट स्थापित करने की मांग वर्षों से होते आ रही है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित स्थल पर पुलिस पिकेट तथा खण्ड (3) में वर्णित स्थल पर जलयान पुलिस पिकेट स्थापित कर स्थानीय आमजन की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अपराध कर्मियों के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों संबंधी आसूचना प्राप्ति पर विशेष रूप से पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करते हुए पिकेट स्थापित किया जाता है। साथ ही गंगा नदी में सघन रूप से मोटर बोट गश्ती की जाती है। वर्त्तमान में पुलिस बल की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुरूप पिकेट स्थापित किया जाता है। सम्प्रति इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

झापांक–16/वि०स०–36/2015-7589/ राँची, दिनांक–19/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके झापांक–2911, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.15
सरकार के उप सचिव।

(13)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक–21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक–21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–09 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अंदर जाति संबंधित अत्यंत पिछड़ी जाति सूची में धोबी, रजक, कृपि धोबा एवं धोबी एक ही जाति के अन्तर्गत आते है ?	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के क्रमांक–8 पर धोबी जाति का नाम दर्ज है। राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची–1 के क्रमांक–70 पर राजधोबी तथा क्रमांक–84 धोबी (मुस्लिम) अंकित है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गजट सूची में "धोबी" जाति को परिभाषित नहीं किये जाने से जामताड़ा जिला के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी बलॉक में कर्मधारी/पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है;;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा जिले के अन्तर्गत सभी ब्लॉक में स्थानीय जाँच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गजट सूची में धोबी जाति को जोड़ने के साथ–साथ वर्णित जातियों के वंशजों के अधिकारों को सुरक्षा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं0–3540 दिनांक–03.07.2004 के आलोक में विभागीय पत्र सं0–1853 दिनांक–26.02.2015 के द्वारा जिनके दावें के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध न हो उनके लिए जाति प्रमाण–पत्र स्थानीय जाँच की विहित प्रक्रिया अपनाकर निर्गत किये जाने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–37/2015 का0– 10751 /राची, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–2985 वि0स0 दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2015

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(14)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या योवि–1 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है वर्ष 2013–2014 तक कुल 5162 करोड़ रुपये का डी.सी. विपत्र लंबित है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि ए.सी. विपत्र के विरूद्ध डी.सी. विपत्र संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा किया जाना होता है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। नियमानुसार ए०सी० विपत्र से निकासी के अगले माह की 10 तारीख तक डी.सी. विपत्र समर्पित किया जाता है।
(3.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समय पर डी.सी. विपत्र जमा नहीं करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए एक निश्चित समय सीमा के अन्दर डी.सी. विपत्र को जमा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लंबित अग्रिम राशि (ए.सी. विपत्र से निकासी की गई राशि) के समायोजन हेतु योजना सह वित्त विभाग के पत्रांक 2372/वि. दिनांक 11.08.2015 से विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2013 में (दिनांक 20.12.2013 को) कुल ₹5548.47 करोड़ के डी.सी. विपत्र लंबित थे, जिनकी राशि वर्ष 2014 में (दिनांक 19.12.2014 को) घटकर ₹5023.33 करोड़ हो गयी तथा इस वर्ष (दिनांक 18.12.2015 को) घटकर ₹4533.50 करोड़ हो गई है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि•स• (4)–44/2015 235/वि.स. राँची/दिनांक: 18-12-15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2896/वि०स०, दिनांक 12.12.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

(विनोद चन्द्र झा)
विशेष सचिव

(15)

श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाल तारांकित प्रश्न संख्या– योवि–02, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलांतर्गत महागामा अनुमंडल मुख्यालय में उप कोषागार (ट्रेजरी) नहीं है?	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि महागामा अनुमंडल मुख्यालय में कोषागार (ट्रेजरी) नहीं रहने के कारण सरकारी कार्यों एवं आमजनों को कठिनाई होती है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(3.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार महागामा अनुमंडल मुख्यालय में उप कोषागार (ट्रेजरी) स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के कोषागारों का कार्य कम्प्यूटरीकृत हो गया है। झारखण्ड राज्य में कुल 45 (पैंतालीस) अनुमंडल है, सम्प्रति कोषागारों/उप कोषागारों की संख्या मात्र 32 है। स्पष्ट है कि सभी अनुमंडल मुख्यालयों में कोषागार/उप कोषागार स्थापित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि॰स॰ (4)– 47/2015. 231/वि.वि. रॉंची/दिनांक: 18.12.15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञापांक 2917 वि०स०, दिनांक 13.12.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के विशेष सचिव

(16)

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में दिनांक–21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में दिनांक–21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–01 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है झारखण्ड राज्य में विगत जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत 26 प्रतिशत है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संविधान की धारा – 16 (4) (क) द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के संदर्भ में राज्य लोक सेवक पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं पदास्थापन के मामले में राज्यों को आरक्षण करने की शक्ति प्रदान की गयी है;	अंशतः स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार संविधान की धारा–16 (4) के तहत जिस परिमाण में नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण अनुमान्य है उसी परिमाण में अ0ज0/अ0ज0जा0 को प्रोन्नति में भी आरक्षण अनुमान्य है। किन्तु पदस्थापन के मामले में आरक्षण को ध्यान में रखने की कोई शक्ति प्रदत्त नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के मामलों में उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय कंडिका के अनुरूप राज्य सरकार ने जिलों में सम्यक पदस्थापन और नियुक्ति प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया है;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–2 से स्पष्ट है कि नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण अधिनियम 2001 के उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है किन्तु पदस्थापन में यह लागू नहीं है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या अनुसूचित जनजाति समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोक सेवकों और जनजाहत समुदाय के व्यापक लोक हित में ऐसा कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–35/2015 का0– 10558 /रांची, दिनांक 14/12/2015

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप सं0–प्र0–2755 वि0स0 दिनांक–10.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(17)

माननीय श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का0–3 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पंचम संयुक्त असैनिक मुख्य परीक्षा (जे0पी0एस0सी0) में 618 अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिका को रद्द(Reject) कर दिया गया है;	प्रश्नगत मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के मुख्य न्यायाधीश के खण्डपीठ के समक्ष डब्लयू0पी0(पी0आई0एल0) सं0–5784/2015 के अन्तर्गत विचाराधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में मानवशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल एवं क्षेत्रीय विषय के अभ्यर्थियों का चयन अधिक किया गया है तथा चयनित उम्मीदवारों के रौल नम्बर लगातार पाये गये हैं;	तदैव।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचम असैनिक संयुक्त मुख्य परीक्षा में बरते गये अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराकर रद्द (Reject) किये गये अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं क्यों?	उपर्युक्त कण्डिका–1 एवं 2 के आलोक में औचित्य नहीं बनता।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/ला0से0आ0(प्रश्न)–01–27/2015 का0 10636 /राँची, दिनांक– 16/12/2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप सं0–2899 दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

(18)

माननीय श्री शिवशंकर उराँव, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–का०–2 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य गठन के बाद, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में लोक सेवकों के चयन हेतु विगत 15 वर्षों में पाँच ही परीक्षाओं का आयोजन किया गया है जबकि प्रत्येक वर्ष यह परीक्षा होनी चाहिए थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद लोक सेवा आयोग के प्रथम चेयरमैन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित विषयों में झारखण्ड की चार जनजातीय एवं क्षेत्रीय मातृभाषाओं को सम्मिलित किया गया था;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–2719 दिनांक–24.05.2004 द्वारा निम्नांकित नौ जनजातीय/स्थानीय भाषाओं को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है– • संथाली • मुण्डारी • हो • खड़िया • कुडुख (उरांव) • कुरमाली • खोरठा • नागपुरी • पंच परगनिया उपर्युक्त विभागीय संकल्प के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम से पंचम संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि विगत दो लोक सेवा आयोग परीक्षा सत्रों से जनजातीय एवं स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लिए जाने वाले विषयों की सूची से जान–बूझकर हटा दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनः हटाये गए उन सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को जे०पी०एस०सी० के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में सम्मिलित कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कण्डिका–2 एवं 3 के आलोक में औचित्य नहीं बनता है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०(प्रश्न)–01–26/2015 का० 10637 /राँची, दिनांक– 16/12/2015

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप सं०–2756 दिनांक–10.12.2015 के प्रसंग में दो सौ प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

(A)

मा0 स0वि0स0 श्रीमती विमला प्रधान द्वारा दिनांक–21.12.15 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ग–1 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में विगत 9, 10 एवं 11 जुलाई 2015 को लगातार बारिश हुई एवं पुल पुलिया सड़कें अतिवृष्टि से टुटे एवं खेतों में लगी फसल बर्बाद हुई एवं खेतों में बालू मिट्टी भर गये;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि कुरडेग एवं केरसई प्रखण्ड में भारी क्षति हुई कुसियारपानी गाँव की सड़क का मुख्य सड़क कुरडेग पथ से सम्पर्क टुटा करंगागुड़ी शिव मन्दिर के पास के पुल बहने से बासेन पंचायत का सम्पर्क टुट गया। उसी तरह सागजोर के पास सोनाजोर नदी पुल क्षतिग्रस्त हुआ है।	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त पुल एवं सड़कों का निर्माण कराने के साथ–साथ खेतों से मिट्टी बालू निकालने का कार्य करना चाहती है, हाँ तो कबतक और नहीं तो क्यों?	3. जिला प्रशासन से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने व बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। खेतो से मिट्टी बालू निकालने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) से संबंधित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1723/15 ग्रा0का0वि0 4234 राँची/दिनांक– 15-12-15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2754, दिनांक–10.12.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

15.12.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1723/15 ग्रा0का0वि0 4234 राँची/दिनांक– 15-12-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15.12.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1723/15 ग्रा0का0वि0 4234 राँची/दिनांक– 15-12-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15.12.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1723/15 ग्रा0का0वि0 4234 राँची/दिनांक– 15-12-15

प्रतिलिपि–गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–6638, दि0–14.12.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(20)

श्री राज कुमार यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के (झारखण्ड) मजदूर एस०जी० केबल्स मलेशिया में कार्यरत को देश वापसी के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्रांक–6170(अनु०स०) दिनांक–19.10.2015 एवं ज्ञापांक –10/विविध 1008/ 2014–6598, दिनांक–16.11.2015 स्थानीय आयुक्त झारखण्ड भवन वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 को भेजा गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कार्यरत मजदूरों ने एस०जी० केबल्स में तरह–तरह यातनाओं के खिलाफ अपने परिवार को सूचित किया था ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि 2 माह बीतने के बाद भी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय/प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;	अस्वीकारात्मक। इस मामले में स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के साथ–साथ विदेश मंत्रालय एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी पत्र भेजा गया था। इसके आलोक में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय उच्चायुक्त, क्वालालम्पुर, मलेशिया से इस मामले में समुचित कार्रवाई कर प्रतिवेदित करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय, मलेशिया के द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य के 38 मजदूरों के स्वदेश वापसी के संबंध में इनके नियोक्ता कंपनी मेसर्स एस०जी० केबल्स के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 38 मजदूरों में से 07 (सात) मजदूर दिनांक–19.10.2015 को भारत वापसी हेतु रवाना हो चुके है। शेष मजदूरों के संबंध में कंपनी द्वारा बताया गया कि वे कंपनी के साथ काम करते रहना चाहते है। इसे सम्पुष्ट करने हेतु भारतीय उच्चायुक्त द्वारा कंपनी से इन मजदूरों के **Contact Details**, मजदूरों के **Written Statement**, मजदूरों के साथ किये गये **Contract Paper** आदि की मांग की गई है। इस मामले के अद्यतन स्थिति हेतु विभागीय पत्रांक–7468, दिनांक–15.12.2015 द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मजदूरों को वतन वापसी के लिए केन्द्र सरकार से पुनः अनुशंसा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका–03 में उत्तर स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–904/2015 7591 रांची, दिनांक–19/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2909, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव। 19.12.15

(21)

प्रो० जयप्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक– 21.12.2015 को सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या यो०वि०– 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्नकर्त्ता– प्रो० जयप्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में विधायक मद का प्रावधान है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विधायक मद की राशि को खर्च करने का कोई निश्चित समयावधि एवं सुगम नियमावली तय नहीं की गयी है।	विधायक मद की राशि को खर्च करने के लिए निश्चित समयावधि एवं नियमावली निर्धारित है। विगत कुछ वर्षों से अग्रिम राशि के समायोजन नहीं होने के कारण कोषागार से राशि निकासी में कठिनाई उत्पन्न हुई है। योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेश (पत्रांक– 143/FC दिनांक– 12.12.2015) के पश्चात सभी जिलों में आवंटन के 50 % राशि की निकासी की जा चुकी है।
3	अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त मद को ससमय खर्च करने के लिए एक समय सीमा और नियमावली तय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	उक्त मद को ससमय खर्च करने के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5230 दिनांक– 05.10.2015 द्वारा निम्न प्रावधान किये गये हैं :– (i) विधायक योजना एवं मुख्यमंत्री विकास योजना में प्रथम छमाही में 50 % राशि का ही आवंटन/व्यय की स्वीकृति दी जाय। राशि के विरूद्ध माननीय विधायकों की अनुशंसा प्राप्त करने तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का कार्य सामान्यतः अप्रैल- जून तक पूर्ण कर लिया जाय। (ii) नये वित्तीय वर्ष में निधि के आवंटन के पूर्व विगत वित्तीय वर्ष में कुल आवंटित राशि का 80 % का डी०सी० वितपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। (iii) पूर्व वित्तीय वर्ष का डी०सी० विपत्र माह जून तक शून्य करना सम्बंधित उप विकास आयुक्त एवं उपायुक्त की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। उक्त प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रभावी होंगे।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–9 (वि०यो०/वि०स०)– 122/2016497 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 15·12·15

प्रतिलिपि : श्री कमलेश, उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 2916 दिनांक– 13.12.2015/श्री अविनाश कुमार सिंह, उप सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग को पत्र संख्या– 225 दिनांक– 14.12.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.15

(22)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–का०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन/ शिलान्यास/परिसम्पतियों का वितरण इत्यादि कार्य निष्पादित करने की प्रक्रिया का निरूपण मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–3270, दिनांक–30 जुलाई, 2003, पत्रांक–2753, दिनांक–25 जून, 2005 एवं पत्र संख्या–1631, दिनांक–25.11.2011 में है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नियम के विरूद्ध दिनांक–14/08/15 को धनबाद के एस०पी० श्री राकेश बंसल द्वारा निरसा व चिरकुण्डा थाना का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया एवं अपने नाम का शिलापट भी लगाया है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निरसा थाना का ऑन–लाईन उद्घाटन दिनांक–14.08.2015 को माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड, राँची द्वारा किया गया तथा शिलापट, झारखण्ड पुलिस हॉउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राँची से लाकर लगाया गया था। चिरकुण्डा थाना भवन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्च, 2013 में ही बना लिया गया था एवं आवश्यक आधारभूत संरचना के बाद इसे 09.01.2014 को पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया था। चिरकुण्डा थाना भवन के जर्जर स्थिति एवं आ रही कठिनाईयों को देखते हुए निरसा थाना भवन के उद्घाटन के साथ ही पुलिस अधीक्षक, धनबाद द्वारा नव निर्मित चिरकुण्डा थाना भवन का भी आरम्भ प्रशासनिक कार्यालय के रूप में कर लिया गया ताकि यह रख रखाव के आभाव में जर्जर न हो एवं सरकारी कार्य भी सुचारू रूप से किया जा सके।
3	यदि उपरोक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब दोषी अधिकारी के इस घोर अनुशासनहीनता पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास/परिसम्पतियों का वितरण इत्यादि कार्य निष्पादित करने की प्रक्रिया के संबंध में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक–7597, दिनांक–19.12.2015 के द्वारा भी निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14/वि०स०–03/2015 7603/ राँची, दिनांक– 20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2901, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.15
सरकार के उप सचिव।

(23)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–का०–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(01.) क्या यह बात सही है कि राँची, जमशेदपुर और धनबाद की तुलना में बोकारो जिला के समस्त राज्य सरकार के कर्मियों को House Rent और Transporting Allowance की राशि कम भुगतान की जा रही है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 6th PRC के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार के कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए House Rent और Transporting Allowance की राशि अनुमान्य की गई थी।
(02.) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा बोकारो जिला में कार्यरत कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के समतुल्य श्रेणी में रख कर एक समान की House Rent और Transporting Allowance की राशि का भुगतान किया जा रही है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या–2/5/2014 E.II (B), दिनांक 21.07.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से बोकारो स्टील सिटी (UA) को Y City के रूप में वर्गीकृत करते हुए आवास किराया भत्ता Y City के अनुरूप अनुमान्य किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या–21(2)/2015-E.II(B), दिनांक 06.08.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से कतिपय शहरों का Transporting Allowance की राशि को संशोधित किया गया है। उक्त पत्रांक में बोकारो स्टील सिटी के लिए Transporting Allowance की राशि को संशोधित नहीं किया गया है।
(03.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के तर्ज पर बोकारो जिला के समस्त कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के कर्मियों के समतुल्य House Rent और Transporting Allowance की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र सरकार के तर्ज पर बोकारो जिला के समस्त कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के कर्मियों के समतुल्य House Rent की राशि अनुमान्य करने के बिन्दु पर राजकोष पर पड़ने वाले व्यय के विस्तृत समीक्षोपरात निर्णय लिया जायेगा।

झारखंड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक : 5/पे०(4)–05/2013...2230/वि०पे० रॉंची, दिनांक 14/12/2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2902/वि०स०, दिनांक 12.12.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई एवं सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)

(24)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– योवि–04, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलांतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल का सृजन दिनांक 01.04.1991 को किया गया था?	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हुसैनाबाद अनुमंडल में अभी तक उप कोषागार की स्थापना नहीं की गई है?	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 तथा खण्ड–2 में वर्णित तथ्य के आलोक में उप कोषागार के अभाव में कार्य बहुत ही प्रभावित होता है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(4) यदि उपरोक्तखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित हुसैनाबाद अनुमंडल के उप कोषागार की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के कोषागारों का कार्य कम्प्यूटरीकृत हो गया है। झारखण्ड राज्य में कुल 45 (पैंतालीस) अनुमंडल है, सम्प्रति कोषागारों/उप कोषागारों की संख्या मात्र 32 है। स्पष्ट है कि सभी अनुमंडल मुख्यालयों में कोषागार/उप कोषागार स्थापित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि•स• (4)– 50/2015 2321 वि॰ इ॰ राँची/दिनांक 18.12.15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2987 वि०स०, दिनांक 14.12.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के विशेष सचिव

(25)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या वाणि–1 का उत्तर

प्रश्न श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0	उत्तर श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय प्रभारी मंत्री (वाणिज्य–कर विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्ष 2005 में चेक–पोस्ट निर्माण की योजना बनायी गयी थी;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अबतक उक्त क्षेत्रों में चेक पोस्ट का निर्माण नही होने से राज्य सरकार को प्रति माह करोड़ों रूपये राजस्व की क्षति हो रही है;	वर्ष 2010 में विभागीय अधिसूचना संख्या– 67 दिनांक 03.03.2010 द्वारा कुल 10 स्थानों यथा– **चिरकुण्डा, चौपारण, बहरागोड़ा, बॉगीटॉड, मंझाटोली, मुरीसेमर, घुलियान, घास मोड़, बॉसजोर एवं हाटगमहरिया बरायबुरू पथ** में समन्वित चेक–पोस्ट आरंभ करने का निर्णय लिया गया। उक्त चेक–पोस्टों से वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 94,82,145.84 रूपये, 2014–15 में कुल **4,87,68,135/– रूपये** एवं 2015–16 में अद्यतन कुल **65,64,63,549 रूपये** राजस्व की प्राप्ति हुई है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में चालू वित्तीय में उक्त सीमावर्ती क्षेत्रों को चिन्हित कर चेक–पोस्ट निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– 4807 दिनांक– 15/12/2015

प्रतिलिपि– उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2897 दिनांक 12.12.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/15
(मुकेश कुमार)
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।